



**संगीत नाटक अकादेमी**  
**संगीत, नृत्य एवं नाट्य की राष्ट्रीय अकादेमी**  
**रवीन्द्र भवन, नई दिल्ली**

दिल्ली तथा दिल्ली से बाहर आयोजित होने वाले नृत्य, संगीत तथा नाट्य कार्यक्रमों हेतु प्रकाश एवं ध्वनि व्यवस्था से सम्बंधित उपकरणों के लिए दिल्ली स्थित वेंडर्स तथा सेवा प्रदाताओं से एक सीलबंद लिफाफे में 'दो बोली प्रणाली' अर्थात् पूर्व अर्हता सह तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के तहत संगीत नाटक अकादेमी मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित करती है। अन्य शहरों/देश के दूसरे राज्यों के वैसे वेंडर्स तथा सेवा प्रदाता जो अपने शहर/राज्य या निकट के क्षेत्रों में संगीत नाटक अकादेमी की तरफ से आयोजित होने वाले ऐसे कार्यक्रमों से जुड़े कार्यों के लिए अपनी सेवाएँ देना चाहते हैं, पैनल में नाम शामिल करने के लिए उनसे भी निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदा दस्तावेज़ों का पूरा सेट जिसमें नियम तथा शर्तें, तथा उपकरणों का विशेष विवरण अकादेमी की वेबसाइट: [www.sangeetnatak.gov.in](http://www.sangeetnatak.gov.in) से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अकादेमी बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को अंशतः या पूर्णतः स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। तकनीकी तथा वित्तीय बोलियाँ दो अलग-अलग लिफाफे में रखें, तथा इन दोनों लिफाफों को पुनश्च एक बड़े लिफाफे में रखकर भेजें। निविदाएँ इस सूचना के विज्ञापित होने के 30 दिनों के भीतर संगीत नाटक अकादेमी में जमा की जा सकती हैं।

**सचिव**  
**संगीत नाटक अकादेमी, नई दिल्ली**

संगीत नाटक अकादेमी  
संगीत, नृत्य एवं नाट्य की राष्ट्रीय अकादेमी  
रवीन्द्र भवन, नई दिल्ली

**नियम एवं शर्तें**

**पूर्व अहर्ता सह निविदा सूचना हेतु**

**मंचीय प्रस्तुतियों तथा प्रलेखन आदि के लिए ध्वनि, प्रकाश तथा प्रोजेक्शन प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु।**

संगीत नाटक अकादेमी, नई दिल्ली—संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रस्ताव द्वि लिफाफा प्रणाली अर्थात लिफाफा संख्या-1 : पूर्व अहर्ता सह तकनीकी बोली तथा लिफाफा संख्या-2 : आर्थिक बोली के अन्तर्गत अकादेमी प्रकाश एवं ध्वनि व्यवस्था से सम्बंधित उपकरणों के लिए दिल्ली स्थित वेंडरों तथा सेवा प्रदाताओं से पूर्व अहर्ता सह निविदा आमंत्रित करती है। तकनीकी तथा वित्तीय बोलियाँ दो अलग-अलग लिफाफे में रखें, तथा इन दोनों लिफाफों को पुनश्च एक बड़े लिफाफे में रखकर भेजा जा सकता है।

अन्य शहरों/देश के दूसरे राज्यों के वैसे वेंडर्स तथा सेवा प्रदाता जो अपने शहर/राज्य या निकट के क्षेत्रों में संगीत नाटक अकादेमी की तरफ से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में उपरोक्त कार्य-दायित्वों के निर्वहन हेतु अपनी सेवाएँ देना चाहते हैं, पैनल में नाम शामिल करने के लिए उनसे भी निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

इच्छुक कम्पनियों/एजेंसियों के पास राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नृत्य/नाट्य/फिल्म/टीवी तथा अन्य प्रकार के मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों हेतु ध्वनि, प्रकाश, प्रोजेक्शन तथा अन्य सम्बद्ध उपकरण उपलब्ध कराने का कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव होना चाहिए। इच्छुक कम्पनियों/एजेंसियों को चाहिए कि वे द्वि बोली प्रणाली के अन्तर्गत अपने प्रस्ताव जमा कराएँ, जिसमें निम्नलिखित दस्तावेज़ तथा सूचनाएँ दर्ज हों:

**लिफाफा 1 : पूर्व अहर्ता सह तकनीकी बोली**

लिफाफे पर इसको बड़े-बड़े और स्पष्ट गाढ़े अक्षरों में लिखना है।

**पूर्व-अहर्ता दस्तावेज़:**

1. पैन नंबर की एक फोटो प्रति।
2. डब्ल्यूसीटी, वीएटी, ईएसआई, पीएफ पंजीयन, सेवाकर पंजीयन आदि का प्रमाण।
3. कार्यों की सूची, दस्तावेज़ी प्रमाणों के साथ, जिससे यह पता चल सके कि आपने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाटक, नृत्य तथा सांगीतिक आयोजनों, फिल्मों, मनोरंजन से जुड़े आयोजनों, बड़े आयोजनों तथा इससे मिलती-जुलती अन्य परियोजनाओं को कार्यरूप दिया है।

4. फ़र्म की विस्तृत संरचना जिसमें निदेशक / भागीदार / प्रोपराइटर के साथ ही तकनीकी कर्मचारियों आदि का पूरा विवरण हो।
5. पिछले 3 साल अर्थात 2013-14, 2014-15 और 2015-16 का ऑडिट बैलेंस शीट।
6. इसी प्रकृति की कम-से-कम तीन परियोजनाओं का विवरण, जिसको आपने अंतिम रूप दिया हो, तथा जिनमें से प्रत्येक का न्यूनतम बिल कम-से-कम 10,00,000/- (दस लाख रुपये मात्र) रुपये रहा हो। मार्च 2016 तक, पिछले तीन वर्षों में आपकी कम्पनी/फ़र्म का औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार कम-से-कम 50,00,000/- रुपये (पचास लाख रुपये मात्र) होना चाहिए।
7. 50/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक एफिडेविट, जिसमें यह निर्दिष्ट हो कि "किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों में किसी भी प्रकार की संदिग्धता है, तो उसके लिए हम लोग ज़िम्मेदार होंगे और इस कृत्य के लिए कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होगी, उसके लिए उत्तरदायी होंगे।" (जमा किए गए सभी दस्तावेज़ों की सूची)
8. निविदा के साथ जमा किए जाने वाले सभी दस्तावेज़ों का सत्यापन राजपत्रित अधिकारी या सार्वजनिक उपक्रम / पीएसयू के किसी अधिकारी या उनके सीए / नोटरी पब्लिक द्वारा किया गया होना चाहिए।
9. निविदाकर्ता एक आत्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें वह यह प्रमाणित करेगा कि फ़र्म/कम्पनी/संस्थान को किसी भी सरकार/पीएसयू द्वारा कभी भी विवर्जित/काली सूची में सूचीबद्ध/पंच-निर्णय के लिए नहीं बुलाया गया है। यदि निविदाकर्ता ने भूत में कभी पंच-निर्णय की मांग की है तो विवरण प्रस्तुत करें।

इस नोटिस में दर्ज सभी शर्तों का अनुपालन करते हुए ही बोलीदाता को अपनी निविदा जमा करानी होगी, अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी। संगीत नाटक अकादेमी न्यूनतम बोली वाली निविदा स्वीकृत करने अथवा अपने निर्णय के पक्ष में कोई कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। बोली के साथ इस निविदा दस्तावेज की एक प्रतिलिपि संलग्न होनी चाहिए, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाताओं के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप में हस्ताक्षर और मुहर होने चाहिए तथा बाध्य रूप में, जो बोली दस्तावेज की शर्तों की स्वीकृति के चिह्न के रूप में दर्ज रहेगा। लिफाफा संख्या 1 (तकनीकी बोली) में अपेक्षित दस्तावेज़ यदि अपूर्ण पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में निविदा खारिज कर दी जाएगी, और निविदाकर्ता द्वारा जमा कराए गए लिफाफा संख्या 2, जिसमें कि वित्तीय बोली से सम्बंधित दस्तावेज़ होंगे, को नहीं खोला जाएगा।

निविदा दस्तावेज़ उप सचिव (प्रशासन), रवीन्द्र भवन, नई दिल्ली-110001 के कार्यालय में जमा कराने होगा। विज्ञापन जारी होने की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर निविदा दस्तावेज़ उप सचिव कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है। तीस दिनों के बाद कोई भी निविदा दस्तावेज़ अस्वीकार्य होंगे।

**लिफाफा संख्या 2 -निर्धारित प्रारूप में वित्तीय बोली, जिसमें दरों की बोली होनी चाहिए।**

लिफाफे में बड़े-बड़े और बोल्ड अक्षरों में वितीय बोली, एजेंसी का नाम आदि तथा अंतिम तिथि अंकित करना है। तत्पश्चात दोनों लिफाफों को एक अन्य बड़े लिफाफे में बंद कर, उस लिफाफे पर बड़े-बड़े तथा बोल्ड अक्षरों में एजेंसी का नाम तथा निविदा जमा करने की अंतिम तिथि लिखनी है।

**विशेष टिप्पणी:** तकनीकी बोली हेतु जमा दस्तावेजों में तमाम उपकरणों और निर्माता/ब्राण्ड आदि के विस्तृत विवरण के साथ ही प्रस्तावित हार्डवेयर की विशेषताएँ भी दर्ज होनी चाहिए। उपकरणों का मूल्य बताने की आवश्यकता नहीं है। निविदाकर्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे हमारी निविदा में उल्लिखित विनिर्देशों के अनुसार ही मूल्य बताएँ। हालांकि, बोलीदाता चाहें तो विकल्प के रूप में तकनीकी बोली के साथ अलग से अपनी तकनीकी विशेषताओं के साथ अपने सुझाव दे सकते हैं। ध्यान रहे कि वितीय बोली तभी खोली जाएगी, जब तकनीकी बोली सभी तरह से संतोषजनक पाई जाएगी।

### नियम एवं शर्तें

**मंचीय प्रस्तुतियों तथा प्रलेखन आदि के लिए ध्वनि, प्रकाश तथा प्रोजेक्शन प्रणाली जैसे उपकरण उपलब्ध कराने हेतु।**

1. अनुबंध एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा तथा सेवाएँ संतोषजनक रहने की स्थिति में वार्षिक आधार पर नवीकरणीय होगा।
2. बोली के लिए निविदा प्रस्तुत करने वाले पक्षों/व्यक्तियों को बयाना राशि (ईएमडी) के रूप में 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट, जो कि सचिव, संगीत नाटक अकादेमी, नई दिल्ली के नाम देय होगा, जमा कराना होगा; असफल निविदाकर्ताओं के मामले में, प्राप्त बयाना राशि तुरंत अथवा अनुबंध को अंतिम रूप देने के पश्चात लौटा दी जाएगी। सफल बोलीदाताओं की बयाना राशि को सुरक्षा निधि में समायोजित कर दिया जाएगा, जो कि अनुमानित वार्षिक लागत का 5% है।
3. कोई भी निविदाकर्ता, चाहे वह व्यक्ति हो या कोई फर्म, यदि उसका कोई सम्बंधी या निकट सम्बंधी संगीत नाटक अकादेमी या इससे सम्बद्ध संस्थानों में कार्यरत है, तो ऐसा व्यक्ति या फर्म संगीत नाटक अकादेमी के साथ इस प्रकार के किसी भी अनुबंध हेतु पात्र नहीं होगा।
4. कोई व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में हो/अर्द्ध सरकारी तथा स्वायत्त निकायों में कार्यरत हो, वह इस प्रकार के किसी भी अनुबंध हेतु पात्रता नहीं रखता।
5. यदि अनुबंधित व्यक्ति या फर्म द्वारा निष्पादित कार्य अथवा आपूर्ति की गई सामग्री असंतोषजनक पाई जाती है तो बिना किसी पूर्व सूचना के ठेका रद्द करने का अधिकार संगीत नाटक अकादेमी को होगा।
6. बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार संगीत नाटक अकादेमी को होगा। इस सन्दर्भ में अकादेमी का फैसला ही अंतिम होगा तथा इस सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का पत्राचार विचारनीय नहीं होगा।

7. फ़र्म को वीएट विभाग/सेवा कर विभाग के शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट या ऐसे किसी अन्य क़ानून के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
8. अकादेमी की तरफ से किसी भी कार्य के लिए कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
9. कार्यक्रम सम्पन्न होने के तुरंत बाद या सामग्री की आपूर्ति के पश्चात अकादेमी के सम्बंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चालान की एक कॉपी के साथ बिल जमा करना होगा तथा किसी भी स्थिति में कार्यक्रम समाप्त होने अथवा किसी सामग्री की आपूर्ति के बाद यह अवधि 15 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। सम्बंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चालान के साथ बिलों को 15 दिनों के अंदर जमा कराना अनिवार्य होगा।
10. अकादेमी द्वारा दिए गए कार्य-दायित्व को कम-से-कम समय के नोटिस पर भी क्रियान्वित करना होगा।
11. दिल्ली से बाहर आयोजित कार्यक्रमों के दौरान यात्रा-व्यय, भोजन तथा आवास आदि पर आने वाला खर्च फ़र्म स्वयं वहन करेगा।
12. चालान की एक प्रति के साथ उपकरण/सामग्री आदि की आपूर्ति कार्यक्रम स्थल अथवा किसी अन्य वांछित जगह पर करनी होगी तथा परिवहन-खर्च, श्रम-शुल्क, ट्रांसपोर्टेशन, सौंपे गए कार्य पर व्यय आदि का भुगतान अकादेमी द्वारा उसी समय नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, यदि इस मद में अकादेमी की तरफ से यदि कोई खर्च किया जाता है तो वह राशि ठेकेदार (ठेकेदारों) के बिल से व्यवकलित कर ली जाएगी। अर्थात् उतनी राशि काटकर बिल का भुगतान किया जाएगा।
13. ऐसी स्थिति में, किसी भी स्तर पर, अगर यह पाया जाता है कि ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा किया गया कार्य संतोषजनक तथा आयोजन/कार्यक्रम/गतिविधि आदि के स्तर का नहीं है, तो कार्य के लिए कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। और यह भी कि यदि किसी भी स्तर पर, यह पाया जाता है कि अतीत में किसी कार्य हेतु अधिक भुगतान किया गया है, तो वह अतिरिक्त भुगतान की गई राशि वर्तमान बिल में से काट ली जाएगी। सौंपे गए कार्य का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में ठेकेदार की सुरक्षा निधि जब्त कर ली जाएगी और उस ठेकेदार को अकादेमी की काली-सूची में डाल दिया जाएगा।
14. अगर ठेकेदार दिए गए कार्य, चाहे वह कितने ही कम समय में क्यों न सौंपी गई हो, के त्वरित निष्पादन में असफल रहता है, तो अकादेमी को यह आज़ादी होगी कि वह ठेकेदार के जोखिम और खर्च पर किसी बाहरी व्यक्ति अथवा संस्था से अपना कार्य-निष्पादन करवा ले। इस पर आने वाला अतिरिक्त खर्च ठेकेदार के बिल से काट लिया जाएगा। जैसे कि, नियम और शर्तें मानने के बाद, किसी भी दायित्व (पूर्णतः या अंशतः) का निर्वहण करने के दौरान यदि ठेकेदार (ठेकेदारों) की अक्षमता के कारण व्यवधान आता है, तो यह माना जाएगा कि ठेकेदार (ठेकेदारों) ने काम के लिए दिए गए आदेश की अवज्ञा की है।
15. चोरी, आग, भगदड़, प्राकृतिक आपदा आदि की स्थिति में होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति अथवा हानि का भार ठेकेदार (ठेकेदारों) को ही वहन करना होगा तथा अकादेमी ऐसी क्षति अथवा हानि के लिए किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

16. किराए पर ली गई सामग्री का भुगतान, अकादेमी के निरीक्षण और अनुमोदनाधीन होगा।
17. बिजली की अनुपलब्धता की स्थिति में ठेकेदार (ठेकेदारों) को अपने खर्च पर अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेना होगा और इस हेतु सम्बंधित विद्युत आपूर्तिकर्ता के पास अग्रिम सुरक्षा निधि भी जमा करानी होगी। बाद में अकादेमी द्वारा सम्बंधित विद्युत आपूर्तिकर्ता (आपूर्तिकर्ताओं) को आपूर्ति रसीद उपलब्ध कराने पर खर्च की प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी।
18. नियम के मुताबिक बिल भुगतान के समय आयकर की राशि बिल से काट ली जाएगी, पैन नंबर आवश्यक है।
19. वैसे आइटम जिन्हें अस्वीकृत कर दिया गया हो, उसे आयोजन स्थल से ठेकेदार (ठेकेदारों)/आपूर्तिकर्ता (आपूर्तिकर्ताओं) को तत्काल हटाना होगा।
20. फर्म तथा एजेंसियों के पास अपने अत्याधुनिक उपकरण होने ज़रूरी हैं, जिन्हें अवसरानुसार केवल लगाने की आवश्यकता हो।
21. आयोजन स्थल पर उपकरणों की सुरक्षा तथा रख-रखाव की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।
22. टेंडर दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ पर टेंडरकर्ता का हस्ताक्षर तथा फर्म/एजेंसी का मुहर ज़रूर लगा होना चाहिए।

प्रमाणित किया जाता है कि मैं/हमलोगों ने नियमों एवं शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ तथा समझ लिया है तथा मैं/हमलोग ऊपर उल्लेखित सभी नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करते हैं।

प्रोपराईटर/अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर  
एवं मुहर तथा तिथि

संगीत नाटक अकादेमी  
नई दिल्ली

मंचीय प्रस्तुतियों तथा प्रलेखन आदि के लिए ध्वनि, प्रकाश तथा प्रोजेक्शन प्रणाली जैसे उपकरण उपलब्ध कराने हेतु।

| क्रम सं. | विवरण   | दर-प्रति<br>इकाई प्रति<br>दिन |  |
|----------|---|-------------------------------|--|
|          | <b>अभिसामयिक (कन्वेंशनल) प्रकाश उपकरण</b>   |                               |  |
| 1.       | 2000 वाट की पीसी स्पॉट लाइट   |                               |  |
| 2.       | 1000 वाट की पीसी स्पॉट लाइट   |                               |  |
| 3.       | 600 वाट की पीसी स्पॉट लाइट  |                               |  |
| 4.       | 2000 वाट की फ्रेस्नेल स्पॉट लाइट  |                               |  |
| 5.       | 1000 वाट की फ्रेस्नेल स्पॉट लाइट  |                               |  |
| 6.       | 600/1000 वाट की प्रोफाइल स्पॉट लाइट   |                               |  |
| 7.       | 575 वाट की प्रोफाइल स्पॉट लाइट (चतुष्कोणीय शटर तथा आईआरआईएस के साथ) पीआर/डीटीएस     |                               |  |
| 8.       | 600/750 वाट की प्रोफाइल स्पॉट लाइट (चतुष्कोणीय शटर तथा आईआरआईएस के साथ) पीआर/डीटीएस |                               |  |
| 9.       | 2000 वाट की फॉलो स्पॉट लाइट   |                               |  |
| 10.      | 2500 वाट की फॉलो स्पॉट लाइट पीएसएल  |                               |  |
| 11.      | 4000 वाट की फॉलो स्पॉट लाइट पीएसएल  |                               |  |
| 12.      | 1200 वाट की एचएमआई फॉलो स्पॉट लाइट एसजीएम   |                               |  |
| 13.      | 1000 वाट की सील्ड बीम पार लाइट  |                               |  |
| 14.      | एसीएल पार-चतुर्मागी (28 वोल्ट/250 वाट)  |                               |  |
| 15.      | 575 वाट की प्रो पार   |                               |  |
| 16.      | 300 वाट की सील्ड बीम पार लाइट   |                               |  |
| 17.      | पार-38 (220 वोल्ट/120 वाट स्पॉट लाइट)   |                               |  |
| 18.      | एमआर-16 हैलोजेन लाइट (12 वोल्ट/50 वाट) क्लैम्प तथा आर्म के साथ।                     |                               |  |
| 19.      | पिन स्पॉट लाइट (12 वोल्ट/30 वाट)  |                               |  |

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 20. | पिन स्पॉट लाइट (6 वोल्ट/30 वाट)  |  |  |
| 21. | 150/300 वाट डिकी पी.सी.  |  |  |
| 22. | 150/300 वाट डिकी फ्रेस्नेल   |  |  |
| 23. | 500 वाट हैलोजेन साइक्लोरामा फ्लड लाइट  |  |  |
| 24. | 1000 वाट हैलोजेन साइक्लोरामा फ्लड लाइट                                       |  |  |
| 25. | 500 वाट हैलोजेन फ्लड लाइट  |  |  |
| 26. | 1000 वाट हैलोजेन फ्लड लाइट   |  |  |
| 27. | बॉर्डर लाइट (लड़ी लाइट) होल्डर तथा वायरिंग के साथ पीईआर 25 वाट लैम्प         |  |  |
|     | <b>विशेष प्रकाश प्रभाव (स्पेशल लाइट इफेक्ट्स) तथा प्रोजेक्शन्स आदि</b>       |  |  |
| 28. | डिस्क (क्लाउड/फायर/रेन आदि) के साथ 1000 वाट का मोटराइज्ड इफेक्ट्स प्रोजेक्टर |  |  |
| 29. | 1000 वाट का मोटराइज्ड वाटर रिप्पल इफेक्ट रोलर                                |  |  |
| 30. | 2 बीम लाइट्स के साथ मिरर बॉल   |  |  |
| 31. | 700 वाट स्ट्रोब लाइट पीएसएल/एसजीएम   |  |  |
| 32. | 1500 वाट स्ट्रोब लाइट पीएसएल/एसजीएम  |  |  |
| 33. | 3000 वाट जम्बो स्ट्रोब लाइट पीएसएल/एसजीएम                                    |  |  |
| 34. | स्मोक मशीन अनतरी/पीआर  |  |  |
| 35. | डीएमएक्स तथा ब्लोअर के साथ स्मोक मशीन अनतरी/पीआर                             |  |  |
| 36. | हेज़ मशीन अनतरी/पीआर   |  |  |
| 37. | डीएमएक्स तथा ब्लोअर के साथ हेज़ मशीन अनतरी/पीआर                              |  |  |
| 38. | फॉग मशीन अनतरी/पीआर  |  |  |
| 39. | फेज़र मशीन अनतरी/पीआर  |  |  |
| 40. | बबल मशीन अनतरी/शोलाइट  |  |  |
| 41. | कलरफुल फ्लेम मशीन शोलाइट   |  |  |
| 42. | फ्लेम प्रोजेक्टर शोलाइट  |  |  |
| 43. | कॉन्फेर्टी मशीन शोलाइट   |  |  |
| 44. | कॉन्फेर्टी कैनन स्फाट  |  |  |
| 45. | स्नो मशीन अनतरी  |  |  |
| 46. | फोम मशीन स्फाट   |  |  |

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
| 47. | 20 वाट यूटी ट्यूब 2'  |  |  |
| 48. | 40 वाट यूवी ट्यूब 4'  |  |  |
| 49. | 400 वाट यूवी लैम्प  |  |  |
| 50. | वॉटर स्क्रीन  |  |  |
| 51. | वॉटर कर्टेन   |  |  |
| 52. | फॉग कर्टेन  |  |  |
|     | <b>इंटेलिजेंट लाइट्स</b>  |  |  |
| 53. | 250 वाट स्कैनर एसजीएम   |  |  |
| 54. | 1200 वाट स्कैनर गैलिलियो IV एसजीएम  |  |  |
| 55. | 250 वाट कलर लैब एसजीएम  |  |  |
| 56. | 300 वाट अल्फा बीम (मूविंग हेड) डीटीएस/पीआर                                  |  |  |
| 57. | 700 वाट अल्फा बीम (मूविंग हेड) डीटीएस/पीआर                                  |  |  |
| 58. | 400 वाट का मूविंग हेड स्पॉट एसजीएम  |  |  |
| 59. | 575 वाट का मूविंग हेड स्पॉट डीटीएस/पीआर                                     |  |  |
| 60. | 575 वाट का मूविंग हेड वॉश डीटीएस/पीआर                                       |  |  |
| 61. | 1200 वाट का मूविंग हेड स्पॉट डीटीएस/पीआर                                    |  |  |
| 62. | 1200 वाट का मूविंग हेड वॉश डीटीएस/पीआर                                      |  |  |
| 63. | बिना डीएमएक्स पीआर के 4 किलोवाट का मल्टी स्काई ट्रैकर                       |  |  |
| 64. | 2.5 किलोवाट का मल्टी स्काई ट्रैकर डीएमएक्स नोवा लाइट के साथ                 |  |  |
| 65. | डीएमएक्स (सिंगल बीम) नोवा लाइट के साथ 2 किलोवाट का कलर चेंजिंग स्काई ट्रैकर |  |  |
| 66. | बिना डीएमएक्स एसजीएम के 150 वाट का कलर डायनमिक                              |  |  |
| 67. | डीएमएक्स एसजीएम के साथ 575 वाट का कलर डायनमिक                               |  |  |
| 68. | इंटेलिजेंट लाइट पायलट 2000 एसजीएम के लिए कंट्रोल पैनल                       |  |  |
| 69. | इंटेलिजेंट लाइट पायलट 300 एसजीएम के लिए कंट्रोल पैनल                        |  |  |
| 70. | इंटेलिजेंट लाइट एवोलाइट/ज़ीरो-88 के लिए कंट्रोल पैनल                        |  |  |
|     | <b>एलईडी तथा आर्कीटेक्चरल लाइटें</b>  |  |  |

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 71. | एलईडी-आरजीबी कलर चेंजिंग फ्लड लाइट(पाल्को)<br>एसजीएम/स्टूडियोड्यू  |  |  |
| 72. | एलईडी पार शोलाइट   |  |  |
| 73. | 2500 वाट एमएसआई/सीएमवाई कलर चेंजिंग<br>फ्लड -(सिटी कलर) शोलाइट   |  |  |
| 74. | एलईडी ब्लॉक शोलाइट   |  |  |
| 75. | एलईडी-आरजीबी लॉग बार शोलाइट  |  |  |
|     | <b>लेज़र</b>   |  |  |
| 76. | 24 वाट का मल्टीकलर लेजर वर्ल्ड   |  |  |
| 77. | 6 वाट का मल्टीकलर लेजर वर्ल्ड  |  |  |
| 78. | 3 वाट का मल्टीकलर लेजर वर्ल्ड  |  |  |
| 79. | 2 वाट का मल्टीकलर लेजर वर्ल्ड  |  |  |
| 80. | 5 वाट का ग्रीन लेजर वर्ल्ड   |  |  |
| 81. | 2 वाट का ग्रीन लेजर वर्ल्ड   |  |  |
| 82. | 10 वाट का मल्टीकलर लेजर वर्ल्ड   |  |  |
| 83. | एक 24 वाट आरजीबी तथा 6 वाट के 2 आरजीबी<br>लेजर के साथ लेज़र शो तैयार करना, जिसमें<br>अकादेमी की पसंद से एनिमेशन (लगभग 10<br>मिनटों का) तथा बीम शो तैयार करना भी शामिल<br>है। |  |  |
|     | <b>सहायक सामग्री</b>   |  |  |
| 84. | लाइट स्टैंड  |  |  |
| 85. | टी-ब्रैकेट के साथ लाइट टॉवर  |  |  |
| 86. | टी ट्रेस   |  |  |
| 87. | प्रति रनिंग फीट के हिसाब से लाइटिंग का ट्रेस<br>(एमएस/अल्युमीनियम)   |  |  |
| 88. | प्रति किलोवाट इलेक्ट्रॉनिक डीमर  |  |  |
| 89. | इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग कंट्रोल पैनल  |  |  |
| 90. | प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग कंट्रोल पैनल<br>(एवोलाइट/ज़ीरो-88)   |  |  |
| 91. | मास्टर कंट्रोल एएनडी 6-8 इकाई के साथ क्लियर<br>कॉम   |  |  |
| 92. | 125 केवीए का साइलेंट जेनसेट  |  |  |
| 93. | 62 केवीए का साइलेंट जेनसेट   |  |  |

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 94.  | मेन लाइन-प्रति मीटर  |  |  |
| 95.  | एक्सपर्ट   |  |  |
| 96.  | सेमी एक्सपर्ट  |  |  |
| 97.  | टेक्नीशियन   |  |  |
| 98.  | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में द्वि-मार्गीय किराया   |  |  |
| 99.  | दिल्ली के बाहर (यथा रहने-खाने, रेल किराया, सामग्री परिवहन आदि) प्रकाश तथा ध्वनि उपकरणों के इंस्टॉलेशन/कमिशनिंग के लिए अतिरिक्त नियम एवं शर्तें |  |  |
|      | <b>ऑडियो, प्लेबैक तथा प्रोजेक्शन प्रणालियाँ</b>  |  |  |
| 100. | दो स्पीकर्स, दो कॉर्डेड माइक, एम्पलीफायर (टर्बो साउंड, ईएडब्ल्यू, जेबीएल आदि) के साथ सम्पूर्ण ध्वनि प्रणाली                                    |  |  |
| 101. | चार स्पीकर्स, चार कॉर्डेड माइक, एम्पलीफायर (टर्बो साउंड, ईएडब्ल्यू, जेबीएल आदि) के साथ सम्पूर्ण ध्वनि प्रणाली                                  |  |  |
| 102. | छह स्पीकर्स, छह कॉर्डेड माइक, एम्पलीफायर (टर्बो साउंड, ईएडब्ल्यू, जेबीएल आदि) के साथ सम्पूर्ण ध्वनि प्रणाली                                    |  |  |
| 103. | आठ स्पीकर्स, आठ कॉर्डेड माइक, एम्पलीफायर (टर्बो साउंड, ईएडब्ल्यू, जेबीएल आदि) के साथ सम्पूर्ण ध्वनि प्रणाली                                    |  |  |
| 104. | लाइन ऐरें फ्लाइं ऑन ट्रेस के साथ सम्पूर्ण ध्वनि प्रणाली (हर तरफ 3, ऊँचाई 12'-14') टर्बो साउण्ड   |  |  |
| 105. | लगभग 8000-10000 ऑन ट्रेस (हर तरफ 4 सब के साथ आठ-आठ)-ईएडब्ल्यू/जेबीएल/वर्टेक के लिए लाइन ऐरें सिस्टम  |  |  |
| 106. | डिजिटल मिक्सर (साउण्ड क्राफ्ट/यमाहा/डीआईजीआई डिजाइन/डिजिको)  |  |  |
| क.   | 48 चैनल  |  |  |
| ख.   | 60 चैनल  |  |  |
| ग.   | 96 चैनल  |  |  |
| 107. | एनालॉग मिक्सर (साउण्ड क्राफ्ट/क्रेस्ट ऑडियो)   |  |  |

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
| क.   | 8 चैनल  |  |  |
| ख.   | 16 चैनल   |  |  |
| ग.   | 24 चैनल   |  |  |
| घ.   | 32 चैनल   |  |  |
| ङ    | 48 चैनल   |  |  |
| 108. | ऑडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम (डीआईएस/बोश)–प्रति माईक्रोफोन           |  |  |
| 109. | टेबुल/पोडियम/स्टैंडिंग माइक(एसएचयूआरई/एकेजी)                    |  |  |
| 110. | हेडसेट माइक (एसएचयूआरई/कंट्री मैन ई-6)                          |  |  |
| 111. | कॉर्डलेस हैंडमाइक (एसएचयूआरई/एकेजी)                             |  |  |
| 112. | कॉर्डलेस लैपल माइक (एसएचयूआरई/एकेजी)                            |  |  |
| 113. | एक्स्ट्रा कॉर्डेड माइक (एसएचयूआरई)                              |  |  |
| 114. | 13 ऑप्शन्स तथा मैसेज फैसिलिटी (रिप्लाइ प्लस) के साथ वोटिंग पैड  |  |  |
| 115. | टूर गाईड सिस्टम (सेन्न्हेइसर)                                   |  |  |
| 116. | ऑडियो रिकॉर्डिंग–सीडी रिकॉर्डर (मारांत्ज)                       |  |  |
| 117. | सीडी/डीवीडी लाइव रिकॉर्डिंग प्लेयर (पायोनियर)                   |  |  |
| 118. | डीवीडी सोनी-आर/नॉर्मल (पायोनियर)                                |  |  |
| 119. | एलसीडी प्रोजेक्टर 2000 ल्यूमेन्स (सोनी)                         |  |  |
| 120. | एलसीडी प्रोजेक्टर 3000 ल्यूमेन्स (सान्यो)                       |  |  |
| 121. | एलसीडी प्रोजेक्टर डीएलपी3 चिप 5000 ल्यूमेन्स (पैनासोनिक)        |  |  |
| 122. | एलसीडी प्रोजेक्टर डीएलपी3 चिप 7000 ल्यूमेन्स (पैनासोनिक)        |  |  |
| 123. | एलसीडी प्रोजेक्टर डीएलपी3 चिप 10000 ल्यूमेन्स (पैनासोनिक)       |  |  |
| 124. | लकड़ी के फ्रेम (आगे-पीछे) पर प्रोजेक्शन स्क्रीन के लिए मास्किंग |  |  |
| 125. | प्रोजेक्टर, सर्वर, सॉफ्टवेयर आदि के साथ मल्टी प्रोजेक्शन सिस्टम |  |  |
| 126. | सॉफ्टवेयर के साथ इंटरएक्टिव फ्लोर                               |  |  |
| 127. | इंटरएक्टिव प्रोजेक्शन   |  |  |
| 128. | ट्राइपोड (6'x4', 6'x8', 9'x12') पर प्रोजेक्शन स्क्रीन           |  |  |
| 129. | वीजीए स्प्लीटर  |  |  |

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
| 130. | क्रेमर स्विचर   |  |  |
| 131. | स्विचर (आरजीबीएस एक्स्ट्रॉन)  |  |  |
| 132. | बेता प्लेयर (टेबल टॉक) सोनी   |  |  |
| 133. | ओएचपी 3 एम मॉडल 9080/वीआईपी मॉडल  |  |  |
| 134. | प्लाज्मा टीवी 42" (पैनासोनिक)   |  |  |
| 135. | प्लाज्मा टीवी 52" (पैनासोनिक)   |  |  |
| 136. | प्लाज्मा टीवी 60" (पैनासोनिक)   |  |  |
| 137. | डीवीडी प्लेयर (सोनी)  |  |  |
| 138. | डीजी बेता प्लेयर (सोनी)   |  |  |
| 139. | लैपटॉप  |  |  |
| 140. | टीएफटी स्क्रीन 17"  |  |  |
| 141. | टीएफटी स्क्रीन 11"  |  |  |
| 142. | चार्ट पेन के साथ फ्लिप चार्ट बोर्ड  |  |  |
| 143. | स्लाइड प्रोजेक्टर -कोडक   |  |  |
| 144. | ऑडियो आउटबॉक्स बॉक्स  |  |  |
| 145. | लेजर प्वाइंटर   |  |  |
| 146. | यूपीएस 3 केवीए  |  |  |
| 147. | यूपीएस 6 केवीए  |  |  |
| 148. | वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण (आईएसडीएन/आईपी)  |  |  |
| 149. | ऑपरेटर के साथ टेली प्रॉम्पटर  |  |  |
| 150. | एलईडी वॉल 6 एमएम इंडोर-प्रति वर्ग फीट   |  |  |
| 151. | एलईडी वॉल 10 एमएम आउटडोर-प्रति वर्ग फीट   |  |  |
| 152. | ग्राफिक्स के लिए फ्लेक्सिबल कर्टेन 20 एमएम-<br>प्रति वर्ग फीट                               |  |  |
| 153. | एलईडी फ्लोर प्रति वर्ग फीट  |  |  |
| 154. | स्टिल फोटोग्राफर  |  |  |
| 155. | डिजिटल वीडियो फोटोग्राफर  |  |  |
| 156. | साइमल्टेनीअस इन्ट्रिंटेडेशन (वायरलेस सिस्टम)<br>इन्फ्रारेड बेस (कम से कम 50 हैंडसेट के साथ) |  |  |
| क.   | 1+1 भाषा  |  |  |
| ख.   | 1 भाषा+प्रति भाषा अतिरिक्त शुल्क  |  |  |
| ग.   | अर्थ-प्रकाशन बूथ  |  |  |
| घ.   | अतिरिक्त हैण्डसेट   |  |  |
| 157. | वाई-फाई इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ लैपटॉप,  |  |  |

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
|      | इंटरनेट सहित प्रति दिन के आधार पर शुल्क देय  |  |  |
| 158. | विशेषज्ञ   |  |  |
| 159. | अर्द्ध विशेषज्ञ  |  |  |
| 160. | तकनीकी कर्मचारी  |  |  |
| 161. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में द्वि-मार्गीय किराया   |  |  |
| 162. | दिल्ली के बाहर (यथा रहने-खाने, रेल किराया, सामग्री परिवहन आदि) प्रकाश तथा ध्वनि उपकरणों के इंस्टॉलेशन/कमिशनिंग के लिए अतिरिक्त नियम एवं शर्तें |  |  |
| 163. | अतिरिक्त स्पीकर्स, जेबीएल/वर्टेक/ईएडब्ल्यू   |  |  |
| 164. | मॉनिटर स्पीकर्स, जेबीएल/वर्टेक/ईएडब्ल्यू   |  |  |
| 165. | फुट माईक--क्राउन   |  |  |
| 166. | मीडिया/पत्रकार दीर्घा  |  |  |
| 167. | ग्राफिक्स इक्वलाइज़र -यमाहा  |  |  |
| 168. | इफेक्ट रैक   |  |  |
| 169. | क्रॉस ओवर-रेन  |  |  |
| 170. | अबाधित विद्युत आपूर्ति के लिए 10 केवीए का यूपीएस   |  |  |

- उपरोक्त के अतिरिक्त, प्रचलित/आधुनिक प्रकाश तथा ध्वनि उपकरण आदि के नाम तथा दर भी उद्धृत करें, जो उपरोक्त सूची में नहीं हैं। (उपरोक्त मदों को छोड़कर)।